प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री साधुराम जाट (उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर) कैम्पः– कोलिण्डा

दावा संख्याः– 129/2019

1. आबिदा बैगम स्त्री इरफान खां जाति कायमखानी निवासी कोलिण्डा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. शोयब खान पुत्र इरफान खां जाति कायमखानी निवासी कोलिण्डा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3. सानिया खान पुत्र इरफान खां जाति कायमखानी निवासी कोलिण्डा तहसील मलसीरार जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये संरक्षण माता आबिदा बैगम स्त्री इरफान खां जाति कायमखानी निवासी कोलिण्डा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।

– प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मोहम्मद रफीक खान अधिवक्ता वादीगण।
2. .... राज्य सरकार की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 05.10.2021

वाद वादीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार का है कि यह दावा बाबत् घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि जमीन हाल खसरा नं. 390 रकबा 3.04 है0, ख. नं. 489 रकबा 0.86 है. , ख.नं. 710/240 रकबा 0.21 है. सरहद राजस्व ग्राम कोलिण्डा तहत तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू में स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र की पहले खातेदारी भंवरी बानो स्त्री मुस्ताक थी। उक्त भंवरी बानो का दिनांक 29.08.2015 को देहांत हो चुका है। उक्त भंवरी के पति मुस्ताक का सन् 1969 में देहांत हो चुका है। भंवरी बानो के दत्तक पुत्र मो0 इरफान का दिनांक 07.06.2021 को देहान्त हो चुका है। उक्त भंवरी बानो के देहान्त होने के कारण जमीन वर्णित नं. 1 उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दिनांक 24.12.2019 को प्रतिवादी को कहा तो प्रतिवादीगण ने सक्षम न्यायालय में रेगुलर दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी। वाद दावा हाजा के लिए वाद कारण दिनांक 24.12.2019 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी ने वादीगण का नाम भंवरी बानो की जगह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से स्पष्ट इंकार कर सक्षम न्यायालय में दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी तब वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। इस दावा को सुनने का हक अदालत हाजा को है। दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर जमीन हाल ख.नं. 390 रकबा 3.04 है., ख.नं. 489 रकबा 0.86 है., ख.नं. 710/240 रकबा 0.21 है. सरहद राजस्व ग्राम कोलिण्डा तहत तहसील मलसीसर के वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस यह दावा प्रति के वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2020/253 दिनांक 11.02.2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की है जो शामिल मिसल है। जिसके अनुसार वाद वादीगण डिक्री करने पर कोई आपति नहीं होना अंकित किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

बन्दी सम्वत 2069–2072 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2069–2072 के अनुसार खसरा नम्बर 390, 489 व /240 की खातेदारी भंवरी बानो पत्नी मुश्ताक खां जाति कायमखानी सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होना सिद्ध है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 6 पेश किए है। उक्त खातेदार भंवरी बानो की मृत्यु दिनांक 29.08.2015 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श संख्या 05 से जाहिर है। पत्रावली पर उपलब्ध वारिश प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण उक्त भंवरी बानो के विधिक वारिसान होना जाहिर है। वादीगण ने माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू के द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श 6 है। इस प्रकार वादीगण मृतका श्रीमति भंवरी देवी के उत्तराधिकारी है। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर समस्त उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बतौर मनन किया गया। जिससे वाद वादीगण पूर्णतयाः सिद्ध होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम कोलिण्डा तहत तहसील मलसीसर कृषि भूमि हाल खसरा नं. 390 रकबा 3.04 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.86 है0, खसरा नम्बर 710/240 रकबा 0.21 है. में से मृतक खातेदार भंवरी बानो का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। खर्चा वादीगण अपना–अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील तरकीब दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर प्रशासन गांवों के अभियान–2021, कैम्प कोलिण्डा में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

05/10/21

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर कैम्प कोलिण्डा

प्रभारी अधिकारीः–साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

आबिदा बैगम बनाम सरकार

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :– 129/2019

निर्णय दिनांकः– 05.10.2021

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद में डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम कोलिण्डा तहत तहसील मलसीसर कृषि भूमि हाल खसरा नं. 390 रकबा 3.04 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.86 है0, खसरा नम्बर 710/240 रकबा 0.21 है. में से मृतक खातेदार भंवरी बानो का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निज,,–..................–...................मुबलिक–..................–दाबन,........................–................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह–..............................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक–.................–.......................... को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05 माह 10 सन् 2021 को जारी की गई।

साधुराम जाट

(आर.ए.एस.) 05/10

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर